श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

नियमित जमानत आवेदन संख्या–107 / 2026
(सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–302 / 2025)

धारा–84,80 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता

1. अंकित कुमार शर्मा पिता–ललन शर्मा उम्र करीब 25 वर्ष
साकिन–घोरमुहा, टोला–सिटानाबाद उतरी, वार्ड नं.09,
थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा .....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

15.04.2026

दिनांक–08.10.2025 से काराधीन आवेदक / अभियुक्त अंकित कुमार शर्मा की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सदानन्द यादव तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमति उषा मेहता का तर्कपूर्ण बहस सुना। बचाव पक्ष के द्वारा यह निवेदन किया गया कि इस वाद में मृतिका निशा कुमारी की मृत्यु नैहर में हुई है और दहेज मांगने की कोई भी बात वास्तव में नहीं थी बल्कि मृत्यु के बाद यह झूठा आरोप लगाकर मुकदमा किया गया है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आरोप पत्र समर्पित हो गया है तथा आरोप का गठन भी हो गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को नियमित जमानत प्रदान किया जाय।

अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया और यह कथन किया गया कि प्रस्तुत वाद उषा देवी, सूचिका के लिखित आवेदन पर संस्थित हुआ था। जिसमें उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री निशा कुमारी की शादी अंकित कुमार शर्मा (वर्तमान आवेदक) के साथ वर्ष 2024 में हुई थी। शादी के उपरांत सूचिका की पुत्री के पति अंकित कुमार शर्मा, ससुर ललन शर्मा दहेज के रूप में एक लाख रूपये की मांग करते थे तथा पुत्री के साथ मारपीट, गाली–ग्लौज करते थे। उसे कई दिनों तक भूखा रखकर कमरे में बंद करके रखते थे। तब से इनकी पुत्री मायके में ही रहती थी। दिनांक–06.10.2025 को

नियमित जमानत आवेदन संख्या–107 / 2026

(सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–302 / 2025)

–लगातार–

15.04.2026

सूचिका अपना ईलाज हेतु सदर अस्पताल, सहरसा गयी थी। वहां से अपनी बड़ी बेटी के ससुराल चली गयी तो फिर दिनांक–07.10.2025 को जब अपने घर सुबह पहुंची तो घर में ताला लगा देखी और आवाज लगाने पर उसकी पुत्री निशा कुमारी को कोई जवाब नहीं दी तब पड़ोसियो के सहयोग से घर का ताला तोड़ा गया तो अन्दर जाकर देखी कि सूचिका की पुत्री के गले में ओढ़नी लगी थी और वह बल्ली में लटकी हुई थी और वहीं पर पूर्व से रह रहा उसका दामाद फरार था जो दुर्गापूजा के समय से वहीं रहता था। सूचिका ने स्पष्ट कथन किया है कि उसका दामाद अंकित कुमार शर्मा उसकी पुत्री को मारकर बल्ली में लटका दिया और बाहर से ताला लगाकर भाग गया। अभिलेख पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें मृत्यु का कारण– asphyxia due to strangulation बताया गया है। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता ने भा.द.स. की धारा–84, 80, 3(5) में आरोप पत्र समर्पित किया और संज्ञानोपरांत आरोप का गठन भी किया जा चुका है और वाद विचारण के प्रक्रम पर है। अतः ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक / अभियुक्त अंकित कुमार शर्मा, सूचिका उषा देवी की लड़की निशा कुमारी का पति है, जिनकी शादी वर्ष 2024 में हुई थी। शादी के एक साल के अंदर ही उसकी अस्वाभाविक तरीके से मृत्यु हुई है और उनके उपर दहेज मांगने का और दहेज नहीं देने पर प्रताड़ित करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दामाद के सूचिका के घर रहने की बात आई है और अनुसंधान में साक्षियों ने यह कथन किया है कि घटना के बीती रात उसका दामाद भी सूचिका के घर पर ही था, और घटना के बाद वह फरार हो गया था। अनुसंधान में इनके विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र भा.द.स. की धारा–84, 80, 3(5) में समर्पित किया जा चुका है और सत्रवाद के रूप में इस

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–107 / 2026
(सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–302 / 2025)

–लगातार–
15.04.2026

वाद में विचारण भी प्रगति पर है। आरोप का गठन भी हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें जमानत का लाभ प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः काराधीन आवेदक / अभियुक्त **अंकित कुमार शर्मा** की ओर से दाखिल जमानत याचिका को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम